दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) वर्ष-२ ला अंक-६२ वा शनिवार ६ दिसंबर २०२५ RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 किमत : २ रूपये पन्ने - ४

वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में बड़ी राहत

अगले तीन महीने तक कोई जुर्माना या कठोर कार्रवाई नहीं, बजरंग सोनावने ने सरकार का आभार प्रकट किया।

नई दिल्ली, ५ दिसंबर २०२५ , (संवाददाता) केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम २०२५ के तहत शुरू किए गए 'उम्मीद पोर्टल' पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की छह महीने की मूल समय सीमा खत्म होने के तुरंत बाद बड़ा राहत भरा ऐलान किया। श्री रिजिजू ने एएनआई और अन्य पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र स्तर पर डेडलाइन बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, फिर भी सरकार ने मुतवल्लियों और वक्फ संस्थाओं को अधिक से अधिक सुविधा देने का फैसला किया है।

तीन महीने की विशेष छूट

मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया:

अगले तीन महीने यानी मार्च २०२६ तक जो भी मुतवल्ली या वक्फ संस्था उम्मीद पोर्टल पर अपनी संपत्ति रजिस्टर कराएगा, उस पर कोई जुर्माना, कोई पेनल्टी और कोई कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

वक्फ ट्रिब्यूनल से और छह महीने की मोहलत संभव

मंत्री ने बताया कि कानून के मुताबिक हर राज्य का वक्फ ट्रिब्यूनल व्यक्तिगत आवेदन पर छह महीने तक और मोहलत देने का पूरा अधिकार रखता है। उन्होंने अपील की कि जिन्हें तकनीकी दिक्कत, दस्तावेजों की कमी या अन्य कारणों से अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, वे तुरंत अपने राज्य के वक्फ ट्रिब्यूनल से संपर्क करें।

अब तक का रिकॉर्ड

मंत्रालय के अनुसार देश भर में कुल करीब ९ लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से अब तक १.५१ लाख से अधिक संपत्तियां सफलतापूर्वक उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर हो चुकी हैं। कर्नाटक, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

बीड के सांसद बजरंग सोनावने सहित कई सांसदों व संस्थाओं की कोशिशें रंग लाईं

महाराष्ट्र के बीड लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री बजरंग सोनावने ने अन्य सांसदों, वक्फ बोर्ड सदस्यों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर मंत्री श्री रिजिजू से लगातार मुलाकातें की थीं और डेडलाइन बढ़ाने या राहत देने की मांग की थी। इन सामूहिक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज केंद्र सरकार ने तीन महीने की विशेष छूट का ऐलान किया। सांसद सोनावने ने इसे वक्फ संस्थाओं और मुतवल्लियों के लिए बड़ी राहत बताया और सरकार का आभार जताया।

उम्मीद पोर्टल क्या है?

उम्मीद (णचएएऊ) पोर्टल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो वक्फ संपत्तियों की जियो-टैगिंग, दस्तावेजी सत्यापन और पारदर्शी प्रबंधन के लिए बनाया गया है। इसी पोर्टल पर अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, कौशल प्रशिक्षण और अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी चल रही हैं।

पृष्ठभूमि

वक्फ (संशोधन) अधिनियम २०२५ को इसी साल संसद ने पारित किया था, जिसमें सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था। शुरुआती छह महीने की अवधि ६ जून २०२५ से शुरू होकर आज ५ दिसंबर २०२५ को समाप्त हो गई। कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी नेताओं ने मोहलत बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय स्तर पर विस्तार से इनकार कर दिया था।

आज का मंत्रिस्तरीय ऐलान उन सभी आशंकाओं का बड़ा जवाब माना जा रहा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सभी मुतवल्लियों से अपील की है कि वे इस तीन महीने की विशेष छूट का लाभ उठाएं और अपनी संपत्तियां जल्द से जल्द रजिस्टर कर लें ताकि वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगे और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

बीड जिले में १३ दिसंबर को जिला व सभी तालुका अदालतों में होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

बीड, दिनांक ५ (जिमाका): महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई के निर्देशानुसार आगामी १३ दिसंबर २०२५ (शनिवार) को बीड जिला न्यायालय तथा जिले की सभी तालुका अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत श्री आनंद एल. यावलकर, प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीड तथा अध्यक्ष, जिला विधि सेवा प्राधिकरण, बीड के मार्गदर्शन में होगी।

इस लोक अदालत में अदालतों में लंबित सभी प्रकार के मामले (दीवानी, फौजदारी संयोज्य, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक, भूमि विवाद आदि) तथा अदालत में दाखिल होने से पहले के विवाद (प्रि-लिटिगेशन मामले) भी रखे जा सकते हैं। संबंधित पक्षकारों से अपील की जाती है कि वे अपने लंबित या नए मामलों का स्थायी निपटारा कराने के लिए १३ दिसंबर को होने वाली लोक अदालत में जरूर आएं और समझौते के जरिए अपना विवाद सुलझाएं।

इससे पहले १३ सितंबर २०२५ को हुई लोक अदालत में पूरे बीड जिले से कुल ४७,५५८ मामले रखे गए थे, जिनमें से १,३०१ मामलों का समझौते से निपटारा हुआ और करीब १५ करोड़ ६८ लाख ६६ हजार ६०५ रुपये के विवाद सुलझाए गए। इस सफलता में जिला बार एसोसिएशन तथा सभी तालुका बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों व अधिवक्ताओं का बहुमूल्य सहयोग मिला था।

लोक अदालत के फायदे बताते हुए जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव तथा सीनियर डिवीजन सिविल जज श्री डब्ल्यू. ए. सय्यद ने कहा:

लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती

एक ही दिन में कोर्ट-कचहरी से हमेशा के लिए छुटकारा

न गवाह, न सबूत, न उल्टा-सीधा जिरह, न लंबे युक्तिवाद - फैसला तुरंत

दोनों पक्षों की आपसी सहमति से फैसला, इसलिए न कोई हारा, न कोई जीता

रिश्तों में कटुता नहीं आती

लोक अदालत का फैसला कोर्ट के डिक्री के बराबर होता है और उसकी तामील भी कोर्ट से ही कराई जा सकती है

समय और पैसा दोनों की भारी बचत सबसे बड़ी बात - लोक अदालत में निपटने वाले मामलों में लगी कोर्ट फीस पूरी या आंशिक रूप से वापस मिल जाती है

अपने लंबित या नए मामले लोक अदालत में रखवाने के लिए संबंधित पक्षकार अपने क्षेत्र की तालुका विधि सेवा समिति या जिला विधि सेवा प्राधिकरण, बीड के कार्यालय से तुरंत संपर्क करें और १३ दिसंबर को होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जरूर शामिल हों। आपसी सुलह-समझौते से अपने विवाद हमेशा के लिए खत्म करें - न्यायमूर्ति डब्ल्यू. ए. सय्यद ने सभी नागरिकों से यह अपील की है।

गेवराई में भारी आक्रोश: पवार को फिर फंसाने की बड़ी साजिश रच रहा शिवछत्र (पंडित) परिवार, पवार खानदान का इल्ज़ाम

गेवराई : प्रतिनिधि

नगर परिषद की हालिया सार्वत्रिक चुनाव में कथित पथराव और मारपीट की घटना को हथियार बनाकर बीड के पंडित परिवार ने एक बार फिर गेवराई के पाटील बाळराजे पवार को जेल भिजवाने की बड़ी साजिश रची है - ऐसी चर्चा पूरे गेवराई विधानसभा क्षेत्र में जोरों पर है। शिवछत्र (पंडित) परिवार के इस गंदे खेल को राजनीति का सबसे घिनौना रूप बताया जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाळराजे पवार ने अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जनता में यह मांग तेज हो रही है कि वे खुलकर सामने आएं और बीड के पंडितों की इस साजिश का पर्दाफाश करें।

घटना २ दिसंबर की है। गेवराई नगर परिषद चुनाव के लिए मतदान चल रहा था। दोपहर करीब १ बजे वार्ड नंबर १० के मतदान केंद्र पर जयसिंग पंडित के बेटे पृथ्वीराज पंडित ने भाजपा उम्मीदवार गीताबाई बाळराजे पवार की ओर देखकर विक्षिप्त हाव-भाव किए और उनके लिए अश्लील गालियां निकालीं। इसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई और देखते-ही-देखते दोनों गुटों के लोगों ने एक-दूसरे पर पथराव व मारपीट शुरू कर दी, जिससे पूरे शहर में तनाव फैल गया।

इस कथित घटना को आधार बनाकर पूर्व विधायक अमरसिंह पंडित और मौजूदा विधायक विजयसिंह पंडित ने बाळराजे पवार पर झूठे और संगीन आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर बदनामी की जा रही है। गेवराई क्षेत्र में यह खुली चर्चा है कि पवार को फिर से फंसाने के लिए शिवछत्र परिवार ने पूरी साजिश रची है।

लोग कह रहे हैं - हर चुनाव में पृथ्वीराज पंडित मतदान केंद्रों पर दादागिरी दिखाते हैं, दहशत फैलाते हैं और इसके पीछे अमरसिंह पंडित का ही हाथ होता है। यह सब जनता अच्छी तरह जानती है। इस बार भी जब नगर परिषद चुनाव में जनादेश स्पष्ट रूप से पवार खेमे के पक्ष में दिख रहा था, तब अमरसिंह पंडित ने पृथ्वीराज को आगे करके वार्ड में आतंक मचाने की कोशिश की।

गीताबाई पवार ने समझदारी दिखाते हुए कहा था, दादागिरी मत करो, लोकतंत्र से मतदान होने दो। लेकिन पृथ्वीराज पंडित ने फिर गीताबाई की ओर देखकर अश्लील इशारे और गालियां दीं। इसके बाद पवार समर्थकों ने उन्हें धक्का-मुक्की की। विवाद बढ़ा तो पुलिस ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।

इसके बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला। एक पक्ष कहता है कि बाळराजे पवार ने कृष्णाई निवास पर हमला किया, दूसरा पक्ष कहता है कि जयसिंग और पृथ्वीराज पंडित ने पवार के घर पर पथराव किया। दोनों तरफ से राडा हुआ और शहर का माहौल गरमा गया। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ कार्रवाई की है।

देखने वाली बात यह है कि अमरसिंह पंडित के निजी सहायक अमृत डावकर ने सीधे पुलिस के पास जाने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंटरव्यू देकर पवार पर गंभीर आरोप लगाए।

गेवराई में जनता में भारी गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि बीड के पंडित परिवार का राजनीति हमेशा से बदले की भावना से भरा रहा है और इस बार भी पर्दे के पीछे से निम्नी स्तर का खेल खेला जा रहा है ताकि बाळराजे पवार को दोबारा जेल भेजा जा सके।

महाराष्ट्र बंद: बीड जिल्हे में शिक्षकों के राज्यव्यापी 'शाला बंद' आंदोलन को भारी जनसमर्थन, ४०% से अधिक स्कूल रहे बंद

जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन

बीड, दिनांक ५ (प्रतिनिधि): महाराष्ट्र में जिला परिषद, निजी अनुदानित, आंशिक अनुदानित तथा पूर्णतः विनाअनुदानित स्कूलों के शिक्षकों-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सभी राज्यस्तरीय संघटनाओं एवं उनकी समन्वय समिति ने आज पूरे प्रदेश में एक दिवसीय 'शाला बंद' आंदोलन किया। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा था - २०१३ से पहले नियुक्त शिक्षकों पर ढएढ अनिवार्यता तुरंत रद्द की जाए। इसके साथ ही अन्य लंबित मांगें भी शामिल थीं।

बीड जिल्हे में इस बंद को शिक्षकों ने जबरदस्त समर्थन दिया। जिला परिषद, निजी अनुदानित व विनाअनुदानित स्कूलों के हजारों शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन में हिस्सा लिया। जिले की करीब ४०% से अधिक स्कूलें पूरी तरह बंद रहीं। कई जगहों पर शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध दर्ज किया।

प्रमुख मांगें

२०१३ से पहले नियुक्त शिक्षकों से ढएढ की बाध्यता हटाई जाए

१५ मार्च २०२४ का संच मान्यता संबंधी शासनादेश रद्द कर पुराने नियम लागू किए जाएं

हजारों स्कूल बंद करने वाला शिक्षक-विद्यार्थी दोनों को नुकसान पहुंचाने वाला 'शिक्षक समायोजन नीति' तुरंत रद्द हो

जिला परिषद शिक्षकों को रोकी गई पदोन्नतियां दी जाएं

१०-२०-३० वर्ष आश्वासित प्रगति योजना लागू हो

शिक्षा क्षेत्र में ठेका प्रथा पूरी तरह बंद हो

पुरानी पेंशन बहाल हो

प्रशासन की दमन नीति के बावजूद आंदोलन सफल

शिक्षक नेताओं का कहना है कि पिछले दो दिनों से प्रशासन द्वारा धमकी, निलंबन की कार्रवाई और दबाव बनाया जा रहा था, फिर भी शिक्षकों ने हिम्मत नहीं हारी और आंदोलन को सफल बनाया।

मोर्चे की अनुमति नहीं मिली

शिक्षक संघटनाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर इजाजत नहीं दी। इस पर शिक्षक संगठनों ने तीव्र नाराजगी जताई। दोपहर में सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर को ज्ञापन सौंपा।

इन संगठनों ने दिया बंद को पूर्ण समर्थन

मराठवाडा शिक्षक संघ

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना

कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ

प्राथमिक शिक्षक संघ

आदर्श शिक्षक संघटना

शिक्षक परिषद बीड

शिक्षक भारती

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटना

उर्दू शिक्षक संघटना शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समिति शिक्षा बचाव मंच सहित दर्जनों संगठन शिक्षक नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं और दमनकारी नीति जारी रही तो आगामी चुनावों में इसका व्यापक असर दिखेगा।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

पीएम-किसान योजना: संदिग्ध परिवारों और नाबालिग लाभार्थियों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार के सख्त निर्देश

बीड, दिनांक ५ (जिमाका): प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना २४ फरवरी २०१९ से चल रही है। इसके तहत पात्र किसान परिवार को हर साल ६,००० (तीन किस्तों में २,०००-२,०००) मिलते हैं। अब तक २१ किस्तें जारी हो चुकी हैं।

योजना के नियमों के अनुसार एक किसान परिवार (पति-पत्नी और नाबालिग बच्चे) में केवल एक ही सदस्य को लाभ मिल सकता है।

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में डाटा की गहन जांच की तो बीड जिले में कई विसंगतियां सामने आईं। इसके बाद निम्न चार प्रकार के संदिग्ध लाभार्थियों का लाभ अस्थायी रूप से रोक दिया गया है:

एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य (पति-पत्नी या नाबालिग बच्चे) लाभ ले रहे हैं

०१ फरवरी २०१९ के बाद जमीन हस्तांतरित हुई, फिर भी पुराना और नया मालिक दोनों लाभ ले रहे हैं

पुराने मालिक के गलत/अमान्य विवरण वाले मामले

जमीन हस्तांतरण का गलत कारण बताने वाले मामले

पाटोदा तालुका में ऐसे कुल ४३ संदिग्ध लाभार्थी चिह्नित हुए हैं। इन सभी की भौतिक जांच सहायक कृषि अधिकारी करेंगे।

जरूरी दस्तावेज तुरंत जमा करें

पति-पत्नी का आधार कार्ड, ६ महीने के अंदर का ७/१२ उतारा, फेरफार उतारा, राशन कार्ड, वारस मामले में मृतक का फेरफार और मृत्यु प्रमाणपत्र आदि कागजात तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, पाटोदा या गांव के सहायक कृषि अधिकारी को जल्द जमा करें। जांच के बाद पात्र पाए जाने पर लाभ फिर से शुरू होगा। संदिग्ध लाभार्थियों की सूची गांव की ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जा रही है।

२. रब्बी हंगाम २०२५-२६: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने की अंतिम तारीख १५ दिसंबर

रब्बी २०२५-२६ के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन शुरू हो चुका है। इस बार १ से ७ दिसंबर २०२५ तक दसवां फसल बीमा सप्ताह और पूरे दिसंबर महीने नोंदणी अभियान चलाया जा रहा है।

अधिसूचित फसलें (बीड जिला):

गेहूं (सिंचित)

चना

रब्बी प्याज

बीमा राशि और किसान का प्रीमियम प्रति हेक्टेयर (बीड जिला):

गेहूं (सिंचित) फ ४५,००० (किसान हप्ता ६७५)

चना फ ३६,००० (किसान हप्ता ५४०)

रब्बी प्याज फ ७५,००० (किसान हप्ता १,१२५)

अंतिम तारीख: १५ दिसंबर २०२५

कैसे करें नामांकन?

स्वयं ऑनलाइन: https://pmfby.gov.in

बैंक, सामान्य सेवा केंद्र (उडउ), क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या विमा कंपनी के एजेंट के जरिए

जरूरी कागजात:

अग्रीस्टैक पर फार्मर खऊ आधार कार्ड, बैंक खाता, ८-अ उतारा, किराए की जमीन पर खेती करने वालों के लिए रजिस्टर्ड किराया करार

ई-पीक पाहणी कराना अनिवार्य

कर्जदार किसानों के लिए विशेष सूचना: योजना में शामिल न होना चाहते हैं तो ८ दिसंबर २०२५ से पहले अपनी बैंक को लिखित घोषणा-पत्र दें, वरना स्वतः ही योजना में शामिल मान लिया जाएगा।

बीड जिले में इस योजना को खउखउख लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी चला रही है।

अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय, विमा कंपनी या हेल्पलाइन १४४४७ पर संपर्क करें।

विभागीय कृषि सहसंचालक श्री सुनिल वानखेडे ने सभी किसानों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में इस योजना से जुड़ें और प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर भी आर्थिक सुरक्षा पाएं।

मेहरून, जलगांव में हाई-टेंशन करंट ने ली दो मासूम जानें

नायब इमाम मौलाना साबिर रज़ा और नाबालिग बेटी की दर्दनाक मौत, भांजी गम्भीर

क्षेत्र में उबाल-बिजली विभाग के खिलाफ धारा ३०२ के तहत केस दर्ज करने की माँग

जळगांव (अकील खान ब्यावली)

मुस्लिम बहुल घनी आबादी महरून में वर्षों से जर्जर और खतरनाक स्थिति में लटके हाई-टेंशन विद्युत तार आखिरकार एक और भीषण हादसे का कारण बन गए। अल-बरकात चौक, रज़ा मस्जिद चौक और नागोरी डेयरी चौक से गुजरने वाले ये तार लंबे समय से स्थानीय निवासियों के लिए भय का विषय बने हुए थे,कटे-फटे तार, बार-बार जोड़कर चलाया जाने वाला अस्थायी सिस्टम, मामूली हवा में तारों का गिर जाना पूरा क्षेत्र हर मौसम में खतरे के साये में जी रहा था।

५ दिसम्बर, शुक्रवार की सुबह करीब ११ बजे वही भयावह आशंका सच बन गई, जब रज़ा मस्जिद के नायब इमाम, मदरसे के उस्ताद और प्रसिद्ध नातख़्वां मौलाना हाफ़िज़ साबिर खान नवाज़ खान उर्फ़ साबिर रज़ा (३४ वर्ष) अपनी १४ वर्षीय नेक-स्वभाव, सुसंस्कारित बेटी आलिया बिन्ते साबिर (१४ वर्ष) के साथ हाई-टेंशन करंट की चपेट में आकर मौके पर ही दम तोड़ बैठे।

वहीं भांजी मारिया (१४ वर्ष) बेहद नाज़ुक हालत में निजी अस्पताल में भर्ती है.

हादसे की विस्तृत जानकारी.

सूत्रों के अनुसार, मौलाना की भांजी घर की छत पर कपड़े सुखाने गई थी, जहाँ से हाई-टेंशन तार बेहद कम दूरी से गुजरता है। सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण उसे जोरदार करंट लगा और वह घायल होकर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर मौलाना की बेटी आलिया ऊपर पहुंची, लेकिन वह भी तार से चिपक गई। बेटियों की चीखें सुनकर मौलाना साबिर रज़ा ऊपर दौड़े, लेकिन बचाने के प्रयास में स्वयं करंट की चपेट में आकर वहीं शहीद हो गए।

इस भयावह दृश्य ने पूरे मुहल्ले को दहला दिया।

सरकारी लापरवाही से हिंसक बना जनाक्रोश

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुजुर्गों का कहना है कि बिजली विभाग को कई बार मेमोरेंडम दिए गए, शिकायतें दर्ज कराई गईं, आंदोलन भी किए गए-लेकिन विभाग की घोर लापरवाही आज दो घर उजाड़ने का कारण बन गई।

सामाजिक कार्यकर्ता रैहान जागीरदार और अकरम देशमुख ने कड़ी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा.यह सीधी-सीधी सरकारी लापरवाही है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर धारा ३०२ के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

मुआवज़े और आजीविका सुरक्षा की माँग.

मौलाना साबिर रज़ा अपने घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। बूढ़े माता-पिता, पत्नी और छोटे बच्चों का पूरा सहारा उन्हीं पर था।

क्षेत्रवासियों ने सरकार से माँग की है कि-

मृतकों के परिजनों को उचित एवं नियमित मासिक आर्थिक सहायता दी जाए।

बिजली विभाग की लापरवाही पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

घरों की छतों से गुजर रहे सभी हाई-टेंशन तारों की तत्काल मरम्मत एवं पुनःस्थापना की जाए।

घटना की निष्पक्ष न्यायिक जाँच की जाए और जिम्मेदारों को दंडित किया जाना चाहिए.

छह वर्ष पहले भी दो लोगों की चपेट में आई थी मौत

यह कोई पहला हादसा नहीं है। छह वर्ष पूर्व रमज़ान की पहली ताक रात में बारिश के दौरान तार टूटकर गिरा था, जिसमें रिक्शा ड्राइवर इमरान खान और इमरान शेख की मौके पर ही मृत्यु हुई थी।

दुख की बात है कि उस दर्दनाक घटना के बावजूद विभाग ने कोई सबक नहीं सीखा।

जनता का धैर्य टूटने के कगार पर

क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि जल्द ही तारों की मरम्मत, बदलाव और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, तो वे मजबूरन सड़कों पर उतरकर कड़ा जनआंदोलन छेड़ेंगे।

चकलांबा में एक दिवसीय खानकाही इस्तेमा ६ दिसंबर को, गुजरात के प्रसिद्ध आलिम हजरत मौलाना इनायतुल्ला इखरवी करेंगे खिताब

चकलांबा, दिनांक ५ (प्रतिनिधि): गेवराई तालुका के चकलांबा गांव में कल शनिवार, ६ दिसंबर २०२५ को एक दिवसीय खानकाही इस्तेमा बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है। मुख्य वक्ता के रूप में गुजरात (मोना पार्क, भरूच) के मशहूर आलिम-ए-दीन हजरत मौलाना इनायतुल्ला सहाब इखरवी (दामत बरकातुहुम) अपना बयान पेश करेंगे।

चकलांबा की मशहूर लड़कियों की अरबी मदरसा (उर्दू स्कूल) पिछले कई वर्षों से दीनि तालीम के लिए जानी जाती है। मदरसे के संचालक मुफ्ती कौसर साहब के मार्गदर्शन में हर साल इस तरह के नेक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिनके जरिए नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज, सदका और अल्लाह की इबादत व इंसानियत का पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाता है।

इसी सिलसिले को आगे बक़ायम रखते हुए इस बार भी ६ दिसंबर (शनिवार) को एक दिवसीय खानकाही इस्तेमा रखा गया है। हजरत मौलाना इनायतुल्ला इखरवी साहब विशेष रूप से तशरीफ़ ला रहे हैं और अपना कीमती मार्गदर्शन फरमाएंगे।

खास बात यह है कि उसी दिन सुबह ११ बजे महिलाओं और बच्चियों के लिए 'अज़ीमुश्शान मुसाबक़ा' के तहत अलग से नातख़्वानी कार्यक्रम रखा गया है। बहनों-बेटियों के लिए पूरी तरह पर्दे और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है।

मदरसा संचालक मुफ्ती कौसर साहब ने इलाके के सभी मुसलमानों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में इस बरकत वाले कार्यक्रम में शिरकत करें और फायदा उठाएं।

सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर नहीं, हत्या: कौसरबी के शव के टुकड़े साबरमती में फेंके गए

उच्च न्यायालय में अंतिम युक्तिवाद में दावा

जमीर काज़ी

मुंबई: राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चित सोहराबुद्दीन शेख का पुलिस द्वारा किया गया एनकाउंटर नकली था। उनके साथ उनकी पत्नी कौसरबी की हत्या कर शव के अवशेष साबरमती नदी में फेंक दिए गए थे - यह दावा बचाव पक्ष की ओर से शुक्रवार को उच्च न्यायालय में किया गया। सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने सीबीआई कोर्ट के दिसंबर २०१८ के फैसले को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर आज से अंतिम युक्तिवाद शुरू हुए। मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में बचाव पक्ष ने सोहराबुद्दीन की हत्या के बाद उनके साथी तुलसीराम प्रजापति और उनके परिवार वालों के साथ पुलिस ने किस तरह छेड़छाड़ की, इसकी विस्तृत जानकारी दी।

सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन की याचिका पर एडवोकेट गौतम तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि गुजरात पुलिस ने सोहराबुद्दीन को एक जगह हिरासत में लिया और दूसरी जगह गिरफ्तारी दिखाई, फिर नकली एनकाउंटर में उनकी हत्या कर दी। उनकी पत्नी कौसरबी का शव जलाकर राख साबरमती नदी में डाल दी गई। इस घटना के इकलौते गवाह तुलसीराम प्रजापति ने अपने भाई कुंदन प्रजापति को कुछ बातें बताईं। जब इसका पता चला, तो कुंदन को भी नशीले पदार्थों के झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया। यह दावा किया गया।

लगभग एक घंटे की सुनवाई के बाद पूर्वनियोजित कार्यक्रमों के कारण शुक्रवार की सुनवाई स्थगित कर दी गई। अगली तारीख जल्द घोषित की जाएगी, ऐसा स्पष्ट किया गया।

सोहराबुद्दीन शेख नकली एनकाउंटर मामले में मुंबई सत्र न्यायालय का फैसला हमें मान्य है और उसके खिलाफ सीबीआई की ओर से कोई अपील नहीं की जाएगी - यह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने हाईकोर्ट को पहले ही बता चुके हैं।

प्रकरण क्या है?

२६ नवंबर २००५ को सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी कौसरबी को कथित नकली एनकाउंटर में मार दिया गया। इस घटना के प्रत्यक्ष गवाह और सोहराबुद्दीन के साथी तुलसीराम प्रजापति को भी दिसंबर २००६ में एक और कथित नकली एनकाउंटर में मार दिया गया - ऐसा आरोप है। गुजरात एटीएस पर राजनीतिक दबाव में हत्याएं करने का

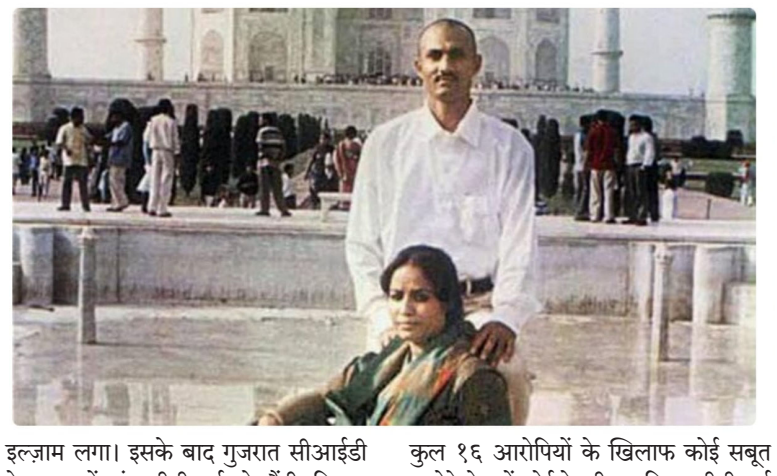

इल्ज़ाम लगा। इसके बाद गुजरात सीआईडी ने २०१२ में जांच सीबीआई को सौंपी। निष्पक्ष सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात का यह मामला महाराष्ट्र के कोर्ट में स्थानांतरित किया। सीबीआई ने कुल ३८ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात एटीएस के तत्कालीन प्रमुख डी.जी. वंजारा सहित कई बड़े नाम और अधिकारी शामिल थे। हालांकि मुकदमे के दौरान अमित शाह, वंजारा सहित कुल १६ आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत न होने से उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। सीबीआई ने इसका कोई विरोध नहीं किया। बाकी २२ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला। सीबीआई ने उनके खिलाफ कुल २१० गवाह खड़े किए, लेकिन उनमें से ९२ गवाहों ने अपना बयान पलट लिया, जिसके कारण उन्हें फरार घोषित किया गया।

सोहराबुद्दीन शेख कौन था?

सोहराबुद्दीन शेख एक कुख्यात अपराधी था। मूल रूप से मध्य प्रदेश के झरीना गांव का रहने वाला था। ९० के दशक में उनकी गिरोह उदयपुर, अहमदाबाद और उज्जैन इलाके में सक्रिय था। उगाही, अपहरण, हथियार तस्करी जैसे कई गंभीर अपराध उसके खिलाफ दर्ज थे। २००४ में उसने राजस्थान की संगमरवरी खदानों के मालिक पटनी बंधुओं को उगाही के लिए धमकाया था। इस मामले में व्यापारियों ने तत्कालीन अमित शाह से शिकायत की। उसके बाद गुजरात पुलिस के एनकाउंटर फेम अधिकारी डी.जी. वंजारा को सोहराबुद्दीन का खात्मा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

१३ साल की अदालती कार्रवाई के बाद सबूतों के अभाव में इस मामले के सभी २२ आरोपी बरी हो गए। सरकारी पक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। इसलिए लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए - मुंबई सीबीआई विशेष कोर्ट के न्यायमूर्ति एस.जे. शर्मा ने फैसला सुनाया। इसमें तुलसीराम प्रजापति का एनकाउंटर वाकई भागने की कोशिश के कारण हुआ, यह सबूतों से सिद्ध हुआ। लेकिन सोहराबुद्दीन और कौसरबी का एनकाउंटर नकली था, यह सरकारी पक्ष साबित नहीं कर सका। कोर्ट के सामने पर्याप्त सबूत न होने से आरोपियों को बरी करना जरूरी था - यह महत्वपूर्ण टिप्पणी सीबीआई कोर्ट ने फैसले में दर्ज की थी।

फैसले के बाद न्यायाधीश की कबूली और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

फैसला सुनाने के बाद न्यायमूर्ति शर्मा ने शेख परिवार से सार्वजनिक माफी मांगी। सबूतों के अभाव में उन्होंने यह फैसला दिया, यह मान लिया। साथ ही सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में यह उनका आखिरी फैसला होने का ऐलान कर सेवानिवृत्ति ली। फैसला आने के बाद सभी २२ आरोपियों ने न्याय व्यवस्था पर भरोसा सार्थक हुआ, ऐसा मीडिया को बताया। वहीं सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन शेख ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही।

इस बीच बदलती जांच एजेंसी, बदलते न्यायाधीश, एक के बाद एक बरी होते हाईप्रोफाइल आरोपी और एक के बाद एक फरार होते सरकारी गवाह - इन कारणों से यह मुकदमा पूरे देश में लगातार चर्चा में रहा। सीबीआई ने अपने अंतिम युक्तिवाद में कबूल किया कि जांच और मुकदमे में कई कमजोर कड़ियां बची हैं। क्योंकि घटना के ५ साल बाद यह जांच सीबीआई को सौंपी गई। घटना के पूरे १२ साल बाद गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com